खण्डीप की मौजूदगी में उक्त नपती पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये एवं अप्रार्थीगण को अपने हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो वे टालमटोल कर कहने लगे कि आज के बाद आपके कब्जोकाश्त में कोई दखल अंदाजी नही करेगें ना ही आपको किसी प्रकार कि परेशानी पैदा करेगें ।

5. यह कि दिनांक 14.6.2021 को उक्त खसरा नम्बर 4731/1559 कि बाउन्ड्री करवाने के लिए मिट्टी बजरी व अन्य सामान डलवाया तो अप्रार्थीगण एक राय होकर आ गये और कहने लगे कि यहां कोई बाउन्ड्री नही होगी एवं मेरी कब्जोकाश्त में हो रही तारबंदी को भी उखाड कर फेंक दिया और झगडा करने को उतारू हो गये तब से मेरा सामान मौके पर ही पडा हुआ है।

6. यह कि अप्रार्थीगण ताकतवर, लठैत, गिरोहबंद, मुठमर्द व्यक्ति है जो आये दिन मुझ वृद्ध बेवा के कब्जोकाश्त की भूमि में परेशानी पैदा करते हैं और झगडा करने को आमादा रहते हैं। मैं अकेली बेवा अप्रार्थीगण का सामना नही कर सकती इसलिए उनको रोकना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायौचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 4731/1559 रकवा 0.13 है0 में पुनः नपती कराकर माननीय तहसीलदार की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता0 6 व 8 की और से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 22.7.2021 को वकालतनामा पेश कर जवाब को समय चाहा। अप्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण, उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं के अनुसार बहस की एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 4731/1559 रकबा 0.13 हेक्टर ,ग्राम खण्डीप तहसील वजीरपुर का मौके पर पर जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार वजीरपुर को दिये जावें। तहसीलदार वजीरपुर को लिखा जावें कि वह आवश्यकता हो तो पुलिस इमदाद लेकर मौके पर जाकर स्वयं विवादित भूमि को पत्थरगढ़ी करावें।

हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस का मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन पर पाया कि प्रार्थी का केस प्रमाणित है। अतः मैं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि भूमि ख0नं0 4731/1559 रकबा 0.13 हेक्टर व ग्राम खण्डीप तहसील वजीरपुर पर किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो खसरा नं. 4731/1559 रकबा 0.13 हेक्टर ग्राम खण्डीप तहसील वजीरपुर का मौके पर पर जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जवाहर लाल जैन)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर